पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड अन्तर्गत औषधियों/फीड सप्लीमेंट/सर्जिकल उपकरणों/रसायन आदि के क्रय हेतु नई क्रय नीति 2023

1- उद्देश्यः

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों तथा अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत समय समय पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/फीड सप्लीमेंट/सर्जिकल उपकरणों/रसायन आदि के क्रय/दर संविदा मे उनकी गुणवत्ता, उपयुक्तता बनाये रखने एवं क्रयं प्रक्रिया मे और अधिक पारदर्शिता लाये जाना इस नीति का समग्र उददेश्य है।

इस नीति के विशिष्ट उददेश्य निम्नवत हैं–

अ. केवल उन्ही औषधियों/फीड सप्लीमेंट/सर्जिकल उपकरणों/रसायन आदि का क्रय किया जायेगा जिनका उपयोग विभागीय सेवाओं को प्रदान करने में आवश्यक है।

ब. क्रय प्रक्रिया प्रभावी/कारगर व पारदर्शी करना।

स. उच्च गुणवत्ता की औषधि व उपकरणों आदि का क्रय।

ड. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय समय पर यथा संशोधित) एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की क्रय वरियता नीति, 2019 के प्राविधानों के अन्तर्गत क्रय सुनिश्चित करना।

2- बजट का वितरणः

2.1. विकासखण्ड स्तरीय पशुचिकित्सालयों, ग्रेड–2 पशुचिकित्सालयों, पशु सेवा केन्द्रों, प्रजनन प्रक्षेत्रों आदि पर विगत 03 वर्षो में किये गये पशुचिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान आदि कार्यो की भौतिक प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर बजट आवंटित किया जायेगा।

2.2. संस्थावार औषधियों आदि सामग्री के क्रय हेतु निम्नानुसार बजट मानक निर्धारित किये जाते है–

संस्था	वार्षिक बजट आवंटन प्रति संस्था (रूपये में)
रेफरेल सेन्टर	5,00,000
सदर पशुचिकित्सालय	4,00,000
विकास खण्ड स्तरीय पशुचिकित्सालय	3,00,000
ग्रेड–2 पशुचिकित्सालय	2,00,000
पशु सेवा केन्द्र	50,000
पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	2,00,000
रोग निदान प्रयोगशाला	50,000

उक्त बजट आवंटन मानकों में प्रत्येक 5 वर्ष में 10 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि की जायेगी।

2.3. आकस्मिकता की स्थिति में स्थानीय बाजार (Local Purchase) से औषधि/रसायन क्रय करने हेतु निम्नलिखित संस्थाओं पर कार्यरत अधिकारियों को अंकित सीमा तक स्थानीय क्रय करने की अनुमति रहेगी–

अधिकारी/संस्था	वार्षिक बजट आवंटन (रूपये में)
निदेशक, पशुपालन निदेशालय	1,00,000
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	50,000
पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1, सदर/विकासखण्ड स्तरीय पशुचिकित्सालय	10,000

स्थानीय बाजार (Local Purchase) से औषधि/रसायनों का क्रय **जिला स्तरीय क्रय समिति** से स्वीकृति के उपरान्त की जायेगी अथवा क्रय उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। जीवन रक्षक औषधियां तथा संक्रामक पशुरोगों के आउटब्रेक के रोकथाम हेतु उपयुक्त औषधियों को ही आकस्मिक माना जाएगा।

3- क्रय की जाने वाली औषधियों आदि का आकलनः

औषधि/फीड सप्लीमेंट/ उपकरण/रसायन आदि के चयन निर्धारण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति		
क्र० सं०	अधिकारी	विवरण
1	निदेशक, पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून	अध्यक्ष
2	अपर निदेशक, मुख्यालय	सदस्य
3	मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू0एल0डी0बी0 देहरादून	सदस्य
4	मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्लू0डी0बी0 देहरादून	सदस्य
5	औषधि नियंत्रक,उत्तराखण्ड या उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
6	निदेशक, पशुपालन द्वारा नामित विशेषज्ञ (संयुक्त निदेशक स्तर)	सदस्य
7	संयुक्त निदेशक, प्रक्योरमैन्ट (उपार्जन)निदेशालय प0पा0वि0	सदस्य/संयोजक

समिति द्वारा सर्वप्रथम प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष से पूर्व नवम्बर माह में अगले वित्तीय वर्ष हेतु क्रय किये जाने वाली औषधि/रसायन आदि का चयन किया जाएगा। चयन की गयी औषधि/रसायनों की सूची विभाग के वेबसाईट पर पशुचिकित्सा अधिकारियों के संज्ञान हेतु प्रदर्शित की जाएगी।

4- क्रय की जाने वाली औषधियों आदि की मात्रा का आकलनः

4.1. चयनित औषधि/फीड सप्लीमेंट/ उपकरण/रसायन आदि की मात्रा का निर्धारण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा ही किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष से पूर्व दिसम्बर माह में अगले वित्तीय वर्ष हेतु क्रय किये जाने वाली औषधि/रसायन आदि की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा।

4.2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति औषधि/फीड सप्लीमेंट/ उपकरण/रसायन आदि की आवश्यकता के सन्दर्भ में विशिष्टियों/मानकों/गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये उनका चयन एवं मात्रा निर्धारित करेगी। इसके सदस्य–संयोजक समिति के सदस्यों को समस्त वांछित सूचनायें समय से उपलब्ध करायेंगे। इसके सदस्य– संयोजक का यह भी दायित्व होगा कि इस समिति की बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त को सभी सदस्यों एवं शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित करे तथा किसी सदस्य अथवा शासन द्वारा आपत्ति किये जाने पर उसके नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें एवं अन्तिम रूप से चयनित सूचियों को राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को ससमय प्रेषित करेगे।

5- औषधियों की समय पर आपूर्तिः

5.1. निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त संस्थाओं पर औषधियां समुचित मात्रा में विभाग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप उपलब्ध रहे। उक्त के सम्बन्ध में समय–समय पर मंडलीय अपर निदेशक, निदेशक पशुपालन को इस सम्बन्ध में अद्यतन सूचना उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगें।

5.2. निदेशालय/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1 (स्थानीय क्रय) द्वारा क्रय आदेश निर्गत करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रय की गयी समस्त औषधियां/रसायन सम्बन्धित के स्टोर तक पहुचायी जाएगी।

5.3. पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1, केन्द्रीय भण्डार द्वारा केन्द्रीय भण्डार पर आपूर्ति की गयी औषधि/रसायनों का विभागीय संस्थाओं पर वितरण से पूर्व भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5.4. प्रभारी केन्द्रीय भण्डार/ प्रभारी, पशुचिकित्सालयों आदि द्वारा FEFO (First Expiry First Out) के आधार पर औषधि/रसायनों का वितरण किया जाना सुनिश्चित करेंगें। जिन औषधि/रसायनों की एक्सपाइरी डेट निकटतम् होगी उनका वितरण/उपयोग पहले किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

6- क्रय प्रक्रियाः

6.1. निदेशालय स्तर पर क्रय की प्रक्रिया –

6.1.1. औषधि/फीड सप्लीमेंट/उपकरण/रसायन आदि के क्रय हेतु निम्न प्रकार राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबंध समिति का गठन किया जाता हैः–

राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति		
क्र० सं०	अधिकारी	विवरण
1	निदेशक, पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून	अध्यक्ष
2	सचिव, पशुपालन विभाग द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3	अपर निदेशक मुख्यालय, पशुपालन विभाग	सदस्य
4	निदेशक, पशुपालन द्वारा नामित विशेषज्ञ (संयुक्त निदेशक स्तर)	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक, प्रक्योरमैन्ट (उपार्जन)निदेशालय प0पा0वि0	सदस्य/संयोजक
6	वित्तीय/लेखा परीक्षा सेवा/अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी	सदस्य
7	औषधि नियंत्रक,उत्तराखण्ड या उनके द्वारा नामित अधिकारी (केवल औषधि क्रय हेतु)	सदस्य

6.1.2. उपरोक्त समिति विभाग में प्रयोग होने वाली औषधि/फीड सप्लीमेंट/उपकरण/ रसायन के क्रय के सन्दर्भ में निविदा प्रपत्र (फार्मस) का निर्धारण एवं क्रय की गई औषधि की निम्न गुणवत्ता पाये जाने पर दण्ड का निर्धारण करेगी।

6.1.3. उक्त क्रय समिति राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा चुनी गयी औषधि/फीड सप्लीमेंट/ उपकरण/रसायन आदि की मात्रा एवं राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्रतिष्ठानों से निर्धारित दरों पर उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत ही क्रय की कार्यवाही करेगी। यदि किन्हीं कारणवश दर अनुबन्ध उपलब्ध न हो और स्थानीय स्तर पर औषधि/फीड सप्लीमेंट/ उपकरण/रसायन आदि की तत्काल आवश्यकता हो, तो उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अर्न्तगत समिति के अध्यक्ष इस प्रकार की औषधि/फीड सप्लीमेंट/उपकरण/रसायन क्रय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिये अधिकृत होगा।

6.1.4. प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष से पूर्व माह जनवरी में अगले वित्तीय वर्ष हेतु निविदा की कार्यवाही राज्य स्तरीय क्रय समिति द्वारा 31 मार्च तक सम्पन्न की जायेगी। जिसमें जनपदों से मॉग की कार्यवाही ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।

6.1.5. विभाग द्वारा Real Time Inventory Management System (RTIMS) एप तैयार किया जायेगा जिससे विभागीय संस्थाओं पर उपलब्ध औषधि आदि की अध्यावधिक जानकारी प्रदर्शित होगी तथा इस हेतु MIS Alert System भी तैयार किया जायेगा जिससे स्टाक लेवल में कमी आने पर तत्काल सूचना प्रदर्शित हो सकेगी। RTIMS के अन्तर्गत FEFO (First Expiry First Out) सिस्टम भी सम्मिलित रहेगा। इसके अतिरिक्त Grievance Redressal के लिये 24X7 काल सेन्टर भी रहेगा जो औषधियों/उपकरणों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करेगा।

उक्त साफ्टवेयर 03 माह के भीतर तैयार करते हुए इसके माध्यम से अगली प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

6.1.6. राज्य सैक्टर योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 70 प्रतिशत क्रय निदेशालय स्तर पर किया जायेगा एवं आपूर्ति सम्बन्धित जिले के केन्द्रीय भण्डार/प्रक्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा की जायेगी।

6.1.7. विभाग में औषधि उपकरण, रसायन आदि के क्रय हेतु राज्य स्तर पर दर अनुबन्ध किया जायेगा।

6.1.8. औषधियों में International Non-Proprietary Names (INN) अथवा अवलवण (Generic Name) के आधार पर निविदायें आमंत्रित की जायेंगी।

6.1.9. उन उपकरणों जिनका विपणन मूल निर्माता फर्म द्वारा स्वतः नही किया जाता है को मूल अधिकृत आपूर्ति कर्ता से ई–निविदा के माध्यम से क्रय किया जा सकता है।

6.1.10. राज्य में जैविक खेती को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से जैविक क्षेत्रों हेतु आयुर्वेदिक औषधियों का क्रय किया जायेगा। आयुर्वेदिक औषधियों का क्रय उन्ही फर्मो से किया जायेगा जिनके पास स्वयं की रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी साथ ही निवेदित आयुर्वेदिक औषधि का क्षेत्रीय परीक्षण (Field trial) किया गया हो तथा ऐसे परीक्षण की मूल्यांकन आख्या/प्रकाशन आदि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

6.1.11. क्रय की जानी वाली औषधियों में 70 प्रतिशत एलोपैथिक तथा 30 प्रतिशत आयुर्वेदिक औषधि का क्रय किया जाएगा।

6.1.12. निविदा प्रपत्र का प्रारूप एंव उसके शुल्क का निर्धारण निदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। निविदाओं को ई–टेन्डर के माध्यम से आमंत्रित कियाा जायेगा।

6.1.13. ई–टेन्डर से प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन ऑन–लाईन किया जायेगा। धरोहर धनराशि/निविदा शुल्क एवं औषधि/फीडसप्लीमेंट/उपकरणों आदि के नमूने तथा अन्य मूल रूप मे प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र तकनीकी निविदा खुलने की निर्धारित तिथि व समय से पहले जमा कराये जाने होगें।

6.2. जनपद स्तर पर क्रय की प्रक्रिया –

6.2.1. जनपद स्तर पर औषिधि/फीड सप्लीमेंट/ उपकरण/रसायन आदि का क्रय मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय क्रय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः–

जिला स्तरीय क्रय समिति		
क्र०सं०	**अधिकारी**	**विवरण**
1	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
3	उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
4	पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1 केन्द्रीय भंडार	सदस्य
5	वित्तीय/लेखा परीक्षा सेवा/अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी	सदस्य

6.3.2. राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत प्राप्त बजट के 30 प्रतिशत एवं जिला योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष औषधि/फीड सप्लीमेंट/ उपकरण/रसायन आदि का क्रय तथा जनपदों को अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष समस्त क्रय जनपद स्तरीय क्रय समिति के माध्यम से किया जायेगा।

6.3.3. जनपद स्तर पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि से समस्त क्रय की कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में की जायेगी। उक्तानुसार किया गया दर अनुबन्ध की सूची से क्रय की कार्यवाही की जायेगी। सूची के अतिरिक्त अवशेष औषधियों, उपकरणों एवं रसायन हेतु मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार क्रय हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी स्वतंत्र होगें।

6.3. पात्रता

6.3.1. औषधियों का क्रय ख्याति प्राप्त औषधि निर्माताओं से ही किया जायेगा, जिसके मूल्यांकन हेतु सी0ए0 द्वारा अभिप्रमाणित विगत दो वर्षो की बैलेंस शीट की टर्नओवर की प्रतियां ली जायेगी और उन्हीं फर्मो से दवा/वैक्सीन की खरीद की जायेगी, जिनका ऐलोपैथी औषधियों/वैक्सीन के सम्बन्ध में विगत दो वर्षो का टर्नओवर रू0 40 करोड प्रतिवर्ष तथा आयुर्वेदिक औषधि/फीड सप्लीमैट हेतु विगत दो वर्षो का टर्नओवर रू0 20 करोड प्रतिवर्ष होगा परन्तु यह टर्न ओवर वेटरीनरी औषधियों से होना आवश्यक होगा, सर्जिकल उपकरणों तथा रसायन व सर्जिकल कन्जुमेबल आर्टिकल हेतु फर्म का वार्षिक टर्नओवर रू0 02 करोड होना आवश्यक है। औषधि/फीड सप्लीमेंट (वैक्सीन निर्माता फर्मों को छोड़ते हुये) की आपूर्ति करने वाली फर्मों के टर्न ओवर का 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की आपूर्ति खुले बाजार मे होना आवश्यक होगी तथा सम्बन्धित फर्म से सी0 ए0 द्वारा इस आशय का अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र लिया जाना अनिवार्य होगा। प्रतिभागी फर्म द्वारा विगत 3 वर्षों मे अपने मूल राज्य के अतिरिक्त कम से कम अन्य 04 राज्यों मे भी सम्बन्धित सामग्री की आपूर्ति की गई हो, के आशय का साक्ष्य/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

6.3.2. आपूर्तिकर्ता फर्म को औषधियों/सर्जिकल सामग्री की In House Test Report प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.3.3. औषधि/वैक्सीन/फीड सप्लीमेंट के सम्बन्ध मे मूल निर्माता लाईसेन्स धारक लोन लाईसेन्सी एवं इम्पोर्ट लाईसेन्स धारक जिसके पास विगत 05 वर्ष का औषधि वैक्सीन/फीड सप्लीमेंट बनाने का अनुभव हो, उपकरणों के सम्बन्ध मे मूल निर्माता, जिसके पास वैध निर्माण लाईसेन्स हो अथवा लघु औद्योगिक इकाई के रूप मे पंजीकृत हो तथा विगत 05 वर्षों से उत्पादन कर रहा हो निविदा मे भाग लेने के लिये पात्र होगा तथा फर्म द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

6.3.4. निविदादाता फर्म द्वारा सक्षम प्राधिकारी का नॉन कन्विक्शन सर्टिफिकेट जो औषधि एंव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो तथा निविदा अपलोड करने की तिथि तक वैध हो, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। ऐसे आइटम जिनके लिये नॉन कन्विक्शन अनुमन्य नही है के सम्बन्ध में निविदादात्री फर्म द्वारा रू0 100 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

6.3.5. निविदा के साथ निविदादाता से गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (जी0एस0टी0) क्लियरेन्स प्रमाणपत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा।

6.4. दण्ड निर्धारण

6.4.1. अयोग्य/अधोमानक आपूर्ति की गयी औषधि का निस्तारण औषधि नियंत्रक के परामर्शानुसार ही किया जायेगा।

6.4.2. आपूर्तिकर्ता फर्म को गलत अभिलेख प्रस्तुत करने, समयान्तर्गत आपूर्ति न करने, औषधियों के अधोमानक पाये जाने, निविदा में उल्लिखित किसी शर्त के अपूर्ण अथवा उसका उल्लंघन होने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि/परफोर्मेन्स सिक्योरिटी जब्त किया जाना तथा तीन वर्ष हेतु ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है साथ ही ऐसी फर्मो के विरूद्व निविदा एंव शर्तो के अधीन कार्यवाही की जायेगी। साथ ही पशुपालन विभाग द्वारा सुसंगत अधिनियमों के अधीन आपराधिक वाद दायर किया जायेगा एवं नियमानुसार धन की वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

6.4.3. औषधि/फीड सप्लीमेंट/उपकरण/रसायन आदि की आपूर्ति मे किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दोहरीकरण (Doubling)/न्यून गुणवत्ता पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता फर्म एवं संबंधित अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

6.4.4. औषधियों/उपकरणों की समयबद्ध आपूर्ति तथा गुणवत्ता जॉच में अयोग्य पायी गई समस्त औषधियों/सर्जिकल सामग्री की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। यदि आपूर्ति की गई सामग्री अधोमानक कोटि की पायी जाती है तो जॉच में हुये समस्त व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। आपूर्तित औषधि की समस्त मात्रा 60 दिन के अन्दर पुनः नई औषधि से आपूर्तित की जानी होगी चाहे उसमें से कुछ भाग का उपयोग कर लिया गया हो।

समयबद्ध आपूर्ति न होने पर अथवा गुणवत्ता जांच में यदि आपूर्ति की गई औषधियों/सर्जिकल सामग्री अधोमानक कोटि की पाई जाती हैं तो जांच अवधि के दौरान भी पशुपालन विभाग को उन औषधियों / सर्जिकल सामग्री का क्रय खुले बाजार से करने का अधिकार होगा।

6.4.5. इसके अतिरिक्त क्रेता, आपूर्तिकर्ता फर्म के विरूद्व क्षतिपूर्ति की कार्यवाही के लिये स्वतन्त्र होगा।

6.5. भुगतान की कार्यवाही

6.5.1. औषधियों/फीड सप्लीमेंट/वैक्सीन के सम्बन्ध में सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक के साथ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एन0ए0बी0एल0) ऐप्रुव्ड/गवर्नमेन्ट ऐप्रुव्ड लैबोरेटरीज की ऐनालिटिकल टेस्ट रिर्पोट अनिवार्य रूप से संलग्न की जाय। क्रय आदेश मूल्य की 10 प्रतिशत जमानती धनराशि का भुगतान औषधियों की रेण्डम सैम्पलिंग के पश्चात संतोषजनक जॉच आख्या प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।

6.5.2. आपूर्तिकर्ता फर्म के बीजकों का भुगतान विभागीय बजट की उपलब्धता पर किया जायेगा तथा विलम्ब से किये जाने वाले भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार्य योग्य नही होगा।

6.6. अन्य शर्तें:

6.6.1. निविदादाता फर्म अगर पूर्व में नकली दवा बनाने में दण्डित हुई हो तो उस इकाई से औषधि किसी भी दशा मे क्रय नहीं की जायेगी। यदि कोई निर्माता फर्म उत्तराखण्ड में किसी राजकीय संस्था द्वारा अधोमानक औषधि निर्माण अथवा क्रय प्रक्रिया का अनुपालन न करने के आरोप में ब्लैक लिस्ट अथवा अन्य किसी अपराध में दण्डित हुई हो तो भी फर्म से औषधि का क्रय ब्लैक लिस्ट किये जाने की अवधि तक न किया जाय।

6.6.2. क्रय की पूर्ण प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैन्ट) नियमावली 2017 (समय–समय पर यथा संशोधित) में की गयी व्यवस्थान्तर्गत की जायेगी।

6.6.3. जिन औषधि आपूर्तिकर्ताओं का उत्तराखण्ड राज्य में डिपो/सी0एण्ड0एफ0 नही है, उनके फर्म द्वारा उत्पादित औषधि उत्तराखण्ड में स्थित स्थानीय वितरक से अनुबंध के उपरान्त ही उनके माध्यम से वितरण कर सकता है किन्तु बीजक उत्तराखण्ड राज्य के ही अनुमन्य होगें।

6.6.4. निविदा में मात्रा अनुबन्ध व दर अनुबन्ध की शर्तें समान होंगी।

6.6.5. राज्य के सूक्ष्म एंव लघु उद्यमों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 व सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की क्रय वरियता नीति, 2019 के अनुसार क्रय/मूल्य वरियता दिये जाने हेतु सम्बन्धित फर्म से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, परन्तु फर्म के सालाना टर्नओवर व पूर्व अनुभव की शर्त में कोई शिथिलता प्रदान नही की जायेगी।

6.7. औषधि की गुणवत्ता का निर्धारण

6.7.1. औषधियों/फीड सप्लीमेंट/वैक्सीन का क्रय केवल उन्ही फर्मो से किया जायेगा जिस फर्म के पास . W.H.O. , GMP With revised Schedule 'M'/ GMP With GLPI पंजीकरण प्रमाण – पत्र हो। निर्माता फर्मो द्वारा अपनी निर्माण इकाई में स्थापित लैब से औषधि का उत्तम मानक कोटि का प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। उपकरणों हेतु

आई0एस0आई0 पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, जिन फीड सप्लीमेंट हेतु भारतीय मानक ब्यूरों के मानक उपलब्ध है का क्रय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त फर्मो से ही किया जायेगा तथा अन्य फीड सप्लीमेंट का क्रय ऐनिमल फीड सप्लीमेट प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित निर्माता फर्मो से ही किया जायेगा। निविदादाता फर्म द्वारा निवेदित फीड सप्लीमेंट का क्षेत्रीय परीक्षण (Field trial) किया गया हो तथा ऐसे परीक्षण की मूल्यांकन आख्या/प्रकाशन आदि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही फर्मो द्वारा जिन औषधियों हेतु प्रतिभाग किया जा रहा है, का औषधि नियंत्रक से प्रमाणित परफोरमेंस प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक होगा।

6.7.2. तकनीकी निविदा हेतु औषधियों एवं फीड सप्लीमेंट के नमूने लिये जाने आवश्यक होगें तथा प्रत्येक नमूने के साथ सम्बन्धित बैच की एन0ए0बी0एल0 अधिकृत प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट संलग्न की जानी आवश्यक होगी। तकनीकी निविदा में अर्ह पायी गई फर्मों के सैम्पलों की गुणवत्ता की जांच विभाग द्वारा किसी पंजीकृत प्रयोगशाला से एक निश्चित समयान्तर्गत कराया जायेगा। तद्पश्चात ही वित्तीय निविदा खोले जाने हेतु फर्म/ औषधि मान्य होगी। जॉच में आया व्यय सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

6.7.3. उपकरण हेतु निर्माता फर्म से नमूने प्राप्त किये जायेगें तथा निदेशक द्वारा गठित चयन समिति द्वारा नमूनों का परीक्षण किया जायेगा तथा परीक्षण में उपयुक्त पाये गये उपकरणों की दरों पर ही मूल्यॉकन हेतु विचार कियाा जायेगा।

6.7.4. प्रत्येक आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होगी एंव औषधि के प्रत्येक लेबल कार्टन व अन्य पैकिंग प्रदर्शन पर यू0के0जी0 सप्लाई नॉट फार सेल '' इन्डेलिबल इंक'' से लिखा जाना अनिवार्य होगा। औषधियों की पैकिंग हेतु दिये गये स्पेसिफिकेशन ही मान्य होंगें।

6.7.5. क्रेता को आपूर्तिकर्ता फर्म के निर्माण एंव विश्लेषण व्यवस्था का निरीक्षण कराये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

6.7.6. एक बार में क्रय की गई तथा केन्द्रीय भण्डार में आपूर्तित प्रत्येक बैच की समस्त औषधियों में से प्रत्येक औषधि के 10 प्रतिशत रेण्डम नमूने पशुचिकित्साधिकारी केन्द्रीय भण्डार व मुख्य वेटरीनरी फार्मासिस्ट केन्द्रीय भण्डार के समक्ष जनपद स्तरीय औषधि नियंत्रक के प्रतिनिधि द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के अनुसार प्राप्त कर औषधि नियंत्रक के प्रतिनिधि के माध्यम से अधिकृत प्रयोगशालाओं से जॉच कराई जानी आवश्यक होगी।

6.7.7. तकनीकी निविदा पूर्ण करने से पूर्व निर्माता फर्मो का निरीक्षण आवश्यकतानुसार कराया जाएगा।

7- समय सारणी–

क्र0 स0	विवरण	समय सीमा
1	क्रय की जाने वाली औषधियों/ रसायन आदि का चयन एवं सूची का निर्माण	माह नवम्बर
2	चयन की गयी औषधियों /रसायन आदि की मात्रा का आकलन	माह दिसम्बर
3	क्रय की जाने वाली औषधियों/ रसायन आदि के निविदा की कार्यवाही	माह जनवरी से फरवरी
4	क्रय की जाने वाली औषधियों/ रसायन आदि के निविदा के उपरान्त आपूर्तिकर्ता फर्म एवं अनुबंधित दर की सूची का प्रकाशन	31 मार्च से पूर्व

8- अन्य विवरणः

8.1. निविदा से सम्बन्धित समस्त वादों में सचिव, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

8.2. यह क्रय नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा आगामी क्रय नीति प्रख्यापित होने तक वैध रहेगी।

** * **